36

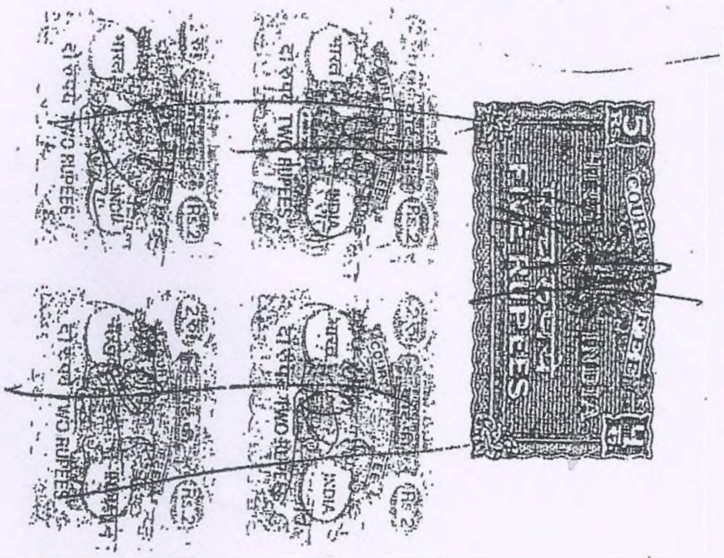

5+2+2+2+2
———
13

नकल आदेश दिनांक 29-10-15 अन्तर्गत धारा 143 ज० वि० क० वाद संख्या 664 सुरभि शुक्ला बनाम उ० प्र० सरकार ग्राम अजियापुर देई परगना मीरानपुर तह० सदर जिला सुलतानपुर न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर सुलतानपुर आदेश दिनांक 29-10-15

प्रबन्धक
कामायनी महिला महाविद्यालय समिति
अजियापुरदेई अलीगंज, सुलतानपुर

(33)

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर सुलतानपुर।

वाद संख्या:– 669

अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अ0
ग्राम– अजियाउर देई, परगना– मीरानपुर,
तहसील– सदर, जिला– सुलतानपुर

सुरभि शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद सुरभि शुक्ला पत्नी संदीप कुमार शुक्ला प्रबन्धक कामायनी महाविद्यालय अजियाउर देई ऊंचगांव अलीगंज जनपद सुलतानपुर ने गाटा सं0 92/1.12हे0 स्थित ग्राम अजियावर देवी परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर के सम्बन्ध में धारा 143 ज0वि0अ0 के अन्तर्गत योजित करते हुए अकृषिक प्रख्यापित किये जाने की याचना किया है। पत्रावली स्थलीय आख्या हेतु तहसील भेजी गयी। तहसील से विस्तृत एवं नियम 135 ज0वि0अ0 के प्रारूप पर आंख्या संलग्न पत्रावली है। तहसील आख्या में क्षेत्रीय लेखपाल ने दर्शाया है कि वाद भूमि वादिनी के नाम संकमणीय भूमिधर अंकित है। मौके पर वाद भूमि मे वादिनी द्वारा अकृषिक प्रयोग मे लायी जा रही है। जिसमें कृषि कार्य नही किया जाता है। अकृषिक प्रख्यापित किये जाने की आख्या प्रेषित किया है। जिसे तहसीलदार ने दिनांक 14.10 2015 को अग्रसारित किया है।

मैने पत्रावली में उपलब्ध तहसील आख्या, उद्धरण खतौनी सन 1412–1417 फ0 के खाता सं0 95 ग्राम अजियावर देवी, विक्रय पत्र की छायाप्रति का विधिवत अवलोकन व परीक्षण किया तथा वादिनी को सुना। पत्रावली में उपलब्ध उद्धरण खतौनी को देखने से स्पष्ट है कि वाद भूमि वादिनी के नाम संकमणीय भूमिधर अंकित है। तहसील आख्या को देखने से स्पष्ट है कि वाद भूमि में मौके पर वादिनी द्वारा अकृषिक प्रयोग मे लायी जा रही है। जिसमें कृषि कार्य नही किया जाता है। अतः वाद भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नही प्रतीत होती है।

आदेश

उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन के आलोक में आदेश किया जाता है कि उद्धरण खतौनी सन 1412–1417 फ0 के खाता सं0 95 की गाटा सं0 92मि0/1.012हे0 स्थित ग्राम अजियावर देवी परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर को अकृषिक प्रख्यापित किया जाता है। तदनुसार अभिलेखों में अंकित हो। वाद भूमि भू–राजस्व से मुक्त हो। आदेश की प्रति उप निबन्धक सदर को भेजी जाए। बाद परवाना अमलदरामद पत्रावली अभिलेखागार संचित हो।

दिनांक–29.10.15

5339
18-11-15

(रतिभान वर्मा)
उप जिलाधिकारी सदर
सुलतानपुर।

प्रबन्धक
कामायनी महिला महाविद्यालय समिति
अजियाउरदेई अलीगंज, सुलतानपुर

(5)

आवेदिका प्र० सुरभि शुक्ला प्रबन्धक कामायनी
महाविद्यालय अजियापुर देई द्वारा दिये गये प्रार्थना
पत्र के आधार पर स्थलीय जांच की गयी। जांच
से यह स्पष्ट है कि गाटा सं० 88 89 90, 91, 92
स्थित ग्राम अजियापुर देई प० मीरानपुर कटघर
जिला सुल्तानपुर आपस में मिले हुए हैं।

आख्या सेवा में प्रेषित है

8/11/17

सत्यापित
26.5.16

अग्रसारित

8.11.17

अग्रसारित
26/5/16

प्रबन्धक
कामायनी महाविद्यालय
अजियापुरदेई, अलीगंज-सुलतानपुर

प्रबन्धक